

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
राजस्व आसूचना निदेशालय

शुद्धिपत्र

अधिसूचना सं. 49/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर 2019

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण म महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 48/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 23.09.2019, का.आ.3438(अ) दिनांक 23.09.2019 द्वारा प्रकाशित।

उपरोक्त अधिसूचना को तालिका के क्रम सं. 15 को हटाया जाता है

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-39/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)  
अपर निदेशक

प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली
2. उप निदेशक, जीआई अनुभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली